B.A.(Education),part-1,Paper-ll,
Presented by Dr.Pallavi,
Topic- Movement for Compulsory Primary Education, Gokhale's Resolution 1910 and Bill 1911.

8.2 परिचय (Introduction) :

शिक्षा तथा राजनीति के क्षेत्र में लार्ड कर्जन को उग्र नीति ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति घृणा भर दी। बंगाल के विभाजन के पश्चात् 'स्वदेशी आन्दोलन' ने भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को और भी अधिक भड़का दिया। यद्यपि स्वदेशी आन्दोलन पूर्णतया राजनीतिक था, परन्तु इसका प्रभाव भारतीय शिक्षा पर भी पड़ा। भारतीय विद्वानों ने भी सोचा कि विदेशी माल के बहिष्कार की तरह हो शिक्षा के क्षेत्र में भी विदेशी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाय और उनकी जगह पर स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना की जाए। इस विचारधारा के कारण ही देश में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रसार की योजना का सूत्रपात किया गया।

वुड के घोषणा-पत्र तथा हण्टर कमीशन की सिफारिशों के पश्चात् भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया, उस समय केवल 6 प्रतिशत भारतीय जनता साक्षर थो। उसे दूर करने के लिए आवश्यक था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाया जाय । इस दिशा में सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार से मांग की थी कि वह देश को निरक्षरता को दूर करने के लिए देश में अनिवार्य निशुल्क शिक्षा के सिद्धांत को शीघ्र-से शीघ्र अपनाए ।

8.3 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा : इतिहास और विकास (Compulsory Primary Education : History and Development)

वर्तमान समय में इस दिशा में किया हुआ सबसे पहला प्रयास वैप्टिस्ट मिशनरी विलियम एडम का था। सन् 1838 में उसने प्रस्ताव रखा कि एक कानून बनाकर समस्त ग्रामों के लिए विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य बना दिया जाये। एक दूसरे सज्जन कैप्टेन विनगेट ने जो बम्बई के रेवेन्यू सर्वे कमिश्नर थे, यह प्रस्ताव किया कि भूमि-राजस्व पर पाँच प्रतिशत कर लगाकर ,प्राप्त हुए धन से कृषकों के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए ।

सन् 1858 में गुजरात के एजूकेशन इंस्पेक्टर टी.सी. होप ने सुझाव रखा कि एक कानून द्वारा किसी स्थान के निवासियों को स्थानीय कर लगाकर अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाये । सन् 1884 में भड़ौच जिले के डिप्टो इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, श्री शास्त्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने का सुझाव दिया। हंटर कमीशन (1882) के सामने, दादा भाई नौरोजी ने भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। पर किसी भी सुझाव की और सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ये प्रस्ताव असामयिक ठहराये गये। इधर देश में राष्ट्रीय भावना को जागृति हो रही थी। इसके दो कारण थे- प्रथम तो यह कि वह पूरा युग ही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनरूत्थान का युग था। बंगाल में राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, स्वामी विवेकानन्द आदि द्वारा लायो हुई चेतना और समस्त उत्तर भारत में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा दी हुई क्रान्ति इस जागृति का कारण बनी। दूसरा कारण यह था कि कुछ प्रबुद्ध लोगों में (अंग्रेजी) शिक्षा पाने से, नवीन ज्ञान विज्ञान के सम्पर्क में आने से जागृति आयी।

सन् 1885 में 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और परिणामस्वरूप शिक्षा की माँग बढ़ी । अंग्रेजी भारत में अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रथम सुव्यवस्थित प्रयत्न बम्बई के तत्कालीन मुस्लिम नेता सर इब्राहिम रहमतुल्ला तथा सर चिमनलाल सीतलवाड़ ने किया । इन्हीं के कारण बम्बई सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य जाँच-पड़ताल द्वारा यह निर्णय दिया कि इस विचार के कार्यान्वित करने का अनुकूल समय अभी नहीं आया है, अत: अभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

सर्वसत्ता सम्पन ब्रिटिश सरकार जिस कार्य को नहीं कर सकी, उसे एक भारतीय नरेश ने क्रियान्वित किया। सन् 1893 में बड़ौदा नरेश सायाजीराव गायकवाड़ ने अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के अमरेली तालुके में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की। इस प्रयोग में आशातीत सफलता मिलने पर सन् 1906 में इसका विस्तार पूरे राज्य में कर दिया। बड़ौदा नरेश के उदाहरण से अनुप्राणित होकर गोपालकृष्ण गोखले ने 'केन्द्रीय धारा-सभा' (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल) में सन् 1906,1907,1908 में भाषण दिये, जिनमें सरकार से आग्रह किया कि वह देश के सभी भागों में धीरे-धीरे लगभग 20 वर्षों में लड़के और लड़कियों-दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें ।

बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास (First Effort of Baroda Ruler)

20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में बम्बई में सर चिमनलाल सीतलवाद और सर इब्राहिम रहीमतुल्ला जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने प्रांत की सरकार से बम्बई नगर में अनिवार्य शिक्षा आरम्भ करने की शक्तिशाली शब्दों में मांग की। सरकार ने उनको संतुष्ट करने के लिए इस विषय पर परामर्श देने के लिए 1906 में एक समिति की नियुक्ति कर दी किन्तु, समिति के सदस्य सरकार के ही चाटुकार थे। अत: उन्होंने बलपूर्वक घोषित किया कि अनिवार्य शिक्षा का समय अभी इतनी दूर है कि उसे बम्बई नगर में आरम्भ किया जाना असम्भव है।

जिस कार्य का आरम्भ बम्बई जैसे धनी एवं उन्नत नगर के लिए असम्भव समझा गया, उसी कार्य को महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ मुंबई की तुलना में निर्धन और कम उन्नत अपने बड़ौदा राज्य में सम्भव करके दिखा दिया। उन्होंने परीक्षण के रूप में अपनी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना को 1893 में अपने राज्य के अमरेली तालुका (Amreli Taluka) के 9 ग्रामों में आरम्भ किया। इस योजना के अनुसार इन ग्रहों के 7 से 12 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों और 7 से 10 वर्ष तक की समस्त बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बना दिया गया। इस कार्य में महाराज कां इतनी असाधारण सफलता प्राप्त हुई कि उन्होंने 1906 में एक अधिनियम बनाकर अपने राज्य के सब बालकों एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बना दिया।

8.4 गोखले का प्रस्ताव, 1910 तथा विधेयक, 1911 (Gokhale's Resolution, 1910 and Bill, 1911)

बड़ौदा नरेश के सफल परीक्षण एवं उत्कृष्ट उदाहरण का गोपालकृष्ण गोखले पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव ने उनके मस्तिष्क पर वह अमिट विचार ऑकत कर दिया कि जिस कार्य को सौमित साधनों बाला छोटा-सा राज्य कर सकता है, उसे प्रचुर साधनों से सम्पन्न विशाल ब्रिटिश भारत कहीं अधिक सरलता एवं सफलता से कर सकता है। प्राथमिक शिक्षा के सौभाग्य से उस समय गोखले- केन्द्रीय धारा सभा (Imperial Legislative Assembly) के सदस्य थे। अतः उन्होंने इस सभा के माध्यम से भारत सरकार की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनाने का संकल्प किया।

अपने संकल्प के अनुसार, गोखले ने 19 मार्च, 1910 को 'केन्द्रीय धारा समा' के समक्ष अपना प्रस्ताव (Resolution) प्रस्तुत करते हुए कहा, 'यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय और इस विषय में प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाय।

गोखले का विधेयक

"The Object of this Bill is to provide for the gradual introduction of the Principle of Compulsion into elementary educational system of the country." विधेयक की सिफारिशें (Suggestions)-विधेयक को ये सिफारिशें अग्रलिखित थे-

1. इस अधिनियम को सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में ही लागू किया जाय जहाँ पहले से हो अच्छे प्रतिशत में बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। बालकों के प्रतिशत को तय करने का आधार
.गवर्नर जनरल सहित परिषद् का होगा।

2. सरकार यदि स्वयं अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत लागू नहीं कर सकती तो उस इस कार्य को स्थानीय संस्थाओं के हाथ में छोड़ देना चाहिए।

3, स्थानीय संस्थाएं सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को लागू कर सकती है।

4. स्थानीय बोर्ड प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए 'शिक्षा कर' लगा सकते हैं। जिस अभिभावक की आय 100 रुपये मासिक से कम हो, उससे शिक्षा-शुल्क न लिया जाय ।

5. सर्वप्रथम इस अधिनियम को योजनाएं केवल बालकों के लिए ही लागू की जाय। परन्तु साथ ही स्थानीय संस्थाओं को स्वतंत्रता है कि वे इच्छानुसार इन योजनाओं को बालिकाओं के लिए भी लागू कर सकती हैं।

6. आर्थिक कठिनाइयों के कारण व अनिवार्य शिक्षा का सिद्धान्त 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए ही लागू किया जाय ।

7. अधिनियम में व्यय के विषय में उल्लेख किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का व्यय-भार परस्पर स्थानीय बोडों और सरकार द्वारा वहन किया जाय । सरकार का कर्तव्य है कि कुल आय का 2/3 भाग उठाये।

गोखले के 'विधेयक में निहित उपरोक्त सभी सुझाव स्पष्ट, सरल एवं साधारण थे। अतः अत्यन्त शिष्ट एवं विनम्र भाव से गवर्नर जनरल का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करते हुए गोखले ने अपना भाषण इन शब्दों में समाप्त किया 'श्रीमान् जी, संक्षेप में मेरा यह सम्पूर्ण विधेयक है । अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की यात्रा के प्रथम चरण के सम्बन्ध में सुझाव देने का यह लघु एवं तुच्छ प्रयास है।

"This, my Lord, is briefly the whole of my Bill. It is a small and humble attempt to suggest the first steps of a journey.

-Gokhale's

केन्द्रीय सरकार ने गोखले के विधेयक को जनमत-संग्रह के लिए विश्वविद्यालयों, प्रान्तीय सरकारों एवं कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं के पास
भेज दिया 18 मार्च, 1912 को 'केन्द्रीय धारा सभा' में विधेयक पर वाद विवाद आरम्भ हुआ। सरकारी प्रवक्ता के रूप में सर हारकोर्ट बटलर (Sir Ilarcourt Butlcr) ने उसके विपक्ष में छः शक्तिशाली तर्क दिये- (1) प्रान्तीय सरकारें, विधेयक के पक्ष में नहीं हैं, (2) शिक्षित वर्ग ने विधेयक का विरोध किया है, (3) देश, अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार नहीं है, (4) अनिवार्य शिक्षा के लिए जनता की मांग नहीं है, (5) अनिवार्यता को लागू करने में अनेक प्रशासकीय कठिनाईयाँ है, और (6) स्थानीय संस्थाएँ, अनिवार्य शिक्षा के लिए नवीन कर लगाने के लिए उद्यत नहीं है। इस प्रकार, सरकार ने विधेयक को सर्वथा उपयुक्त एवं असामयिक बताकर, तिरस्कार किया ।

गोखले ने सर हाकोर्ट बटलर के सभी तकों के अकाट्य उत्तर दिये, पर उनको सफलता नहीं मिली। दो दिन के भीषण वाक्-दन्द्र के अन्त में जब 19 मार्च, 1912 को विधेयक पर मतदान हुआ, तब उसे 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से गिरा दिया गया। दुःख का विषय यह था कि सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त जमींदार सदस्यों ने भी उसके विरुद्ध मतदान किया। इस प्रकार, अल्पसंख्यक भारतीय जमींदारों ने अपने गोरे शासकों को प्रसन्न करके, अपने भावी स्वार्थ की सिद्धि के लिए जन शिक्षा का भ्रूणावस्था में ही गला घोंट दिया। इससे भारत के वीर सेनानी गोखले तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुए और अपनी बहस को खत्म करते हुए बोले- 'मैं जानता था कि संध्या तक मेरा विधेयक उखाड़ कर फेंक दिया जायेगा। इस पर मुझे न कोई शिकायत है और न निराशा ही है। मैं सदैव सोचता हूँ और कहता हूँ कि इस पीढ़ी के भारतवासी अपनी मातृभूमि को सेवा अपनी असफलताओं के द्वारा ही कर सकते हैं । " I knew that my bill would be thrown out before the day closed. I make no complaint. I shall not feel even depressed. I have always felt and have often said that we of the present generation in India can only hope to serve our country by our failures.' -Gokhale

परिणाम-सरकार ने इस विधेयक को नहीं माना। परन्तु भारतीयों में पंडित मदन मोहन मालवीय मोहम्मद ,अली जिन्ना आदि ने विधेयक का हृदय से समर्थन किया। इसका प्रभाव जनता पर भी पड़ा। उसने अनुभव किया कि उनकी पराधीनता का मूल कारण अशिक्षा है और इसे दूर करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाय । इस प्रकार गोखले के असफल विधेयक ने सरकार और जनता दोनों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर अपने उद्देश्यों को एक सीमा तक प्राप्त कर लिया।

8.5 अनिवार्य शिक्षा का प्रसार (Expansion of Compulsory Education): गोखले अपने भारत प्रयत्नों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में असफल हुए। किन्तु उनकी असफलता सफलता के प्रकाश स्तंभ को दीप्तिमान करनेवाली असफलता थी, अनिवार्यता अधिनियम निर्माण की दिशा-निर्देशिका थी। यही कारण था कि 1918 मे 1920 तक की केवल दो वर्ष को अल्प अवधि में भारत के निम्नांकित 7 प्रांतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित कर दिये गए (1) बम्बई , 1919 (2) पंजाब, 1919 (3) संयुक्त प्रान्त 1919; (4) बंगाल. (5) बिहार और उड़ीसा, 1919 (6) मध्य प्रान्त, 1920 और (२) मद्रास, 1920 ।

प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम

1, बम्बई म्युनिसिपल प्राइमरी एजूकेशन एक्ट- गोखले के प्रयासों से प्रेरणा प्राप्त करके विठ्ठल भाई पटेल ने बम्बई को प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक पंश किया । जिसका उद्देश्य प्रान्त के नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था । विधेयक 1918 में पास हुआ। यह विधेयक बम्बई म्युनिसिपल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम (Bombay Municipalities Primary Education Act) के नाम से जाना जाता है। इसको विट्ठल भाई पटेत ने प्रस्तुत किया था। इस कारण यह पटेल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के क्षेत्र में लडका ता लडकियों दोनों को शामित किया गया है। इसमें 6 से ।। वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। इस अधिनियम द्वारा शिक्षा-कर (Education Cess) लगाने का भी अधिकार दिया गया।

2, बंगाल प्राइमरी एजूकेशन एक्ट (1919)-के अधिनियम 1919 में पारित हुआ। इसमें नगर क्षेत्रों को स्थान दिया गया। 1921 में इसमें संशोधन करके ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्थान दिया गया।

3. पंजाब प्राइमरी एजूकेशन (1919)-इस अधिनियम ने 6 से 11 वर्ष के लड़कों को प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने के लिए कहा। 1930 में 2,580 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 50 नगरपालिकाओं ने अनिवार्यता को लागू करने के लिए कदम उठाये। 1925 में पंजाब प्राइमरी एजूकेशन एक्ट को दिल्ली के लिए लागू किया गया। जिसके अनुसार शहर में तथा उसके आसपास के 6 ग्रामीण इलाकों में अनिवार्यता से लागू किया गया।

4. संयुक्त प्रान्त (यू०पी०) प्राइमरी एजूकेशन एक्ट (1919)-यू०पी० में 1919 में इस एक्ट को पारित किया गया। इसके अनुसार नगर पालिका नगरीय क्षेत्रों में 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनायेंगी। इस अधिनियम ने यह भी आदेश दिया कि नगरपालिकाएँ पहले लड़कों के लिए तथा बाद में लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगी। सरकार प्राइमरी शिक्षा के सम्पूर्ण व्यय भार का 60 प्रतिशत वहन करेगी। 1927 में 24 नगरपालिकाओं ने अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू किया ।

5. 1919 में बिहार तथा उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कानून पारित हुआ। साथ ही 1920 में मद्रास तथा मध्य प्रान्त में प्राइमरी एजूकेशन एक्ट पारित हुए ।

1921 में द्वैध शासन की स्थापना ने अनिवार्य शिक्षा के प्रसार की ओर अधिक ध्यान दिया।

उल्लिखित अधिनियमों एवं 1905 से 1921 तक चलनेवाले देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की गति क्रमशः तीव्र होती चलौ गयी। 1927 में आयोजित किये जाने वाले 'अखिल भारतीय महिला-शिक्षा सम्मेलन' (All India women's Education Conference) में महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की मांग की। महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की अनवरत चेष्टाओं के परिणामस्वरूप हरिजनों में जागृति उत्पन्न हुई और वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हुए। 1921 में प्रांतीय शिक्षा का संचालन सूत्र भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ जाने से प्राथमिक शिक्षा को सरकार से बल मिला। इन सब कारणों ने संयुक्त रूप में प्राथमिक शिक्षा के प्रवाह को अबाध गति से प्रवाहित होने में योग दिया और उसका विकास दिन दूना रात चौगुना होता चला गया।

किन्तु विकास निरन्तर गतिशील रहनेवाली प्रक्रिया नहीं है, उसमें स्थिरता आना प्रकृति का नियम है। प्राथमिक शिक्षा भी इस नियम का अपवाद न बन सकी। उसका विकास 1931 में अवरुद्ध हो गया और वह 1937 तक स्थिरता को दशा में पड़ी करवटें बदलती रही। इसके दो मुख्य कारण थे- पहला, 1931 से 1937 तक की अवधि, विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद (Economic Depression) की अवधि थो, जिसका भारत पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। अत: भारत को अनिवार्य शिक्षा की व्ययपूर्ण योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। दूसरा, 'हर्टाग समिति' (1929) का प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक सुझाव यह था कि उसे वास्तव में हितप्रद बनाने के लिए, उसको संख्यात्मक वृद्धि पर अंकुश लगा दिया जाय और प्राथमिक विद्यालयों को ठोस बनाकर (Consolidation) उसको गुणात्मक उन्नति की जाय और प्राथमिक विद्यालय को ठोस बना कर (consolidation) उसकी गुणात्मक उन्नति की जाए । सरकार ने जनता के घोर विरोध के बावजूद समिति के इस सुझाव को स्वीकार करके निम्न श्रेणी के प्राथमिक विद्यालयों को तोड़ दिया और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगा दिया ।

वर्षों से स्थिरता की दशा में पड़ी हुई प्राथमिक शिक्षा को 1935 के भारत सरकार अधिनियम से गतिशीलता का वरदान प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के अनुसार 'प्रान्तीय स्वशासन' की स्थापना हुई और 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सत्तारूढ़ होकर प्राथमिक शिक्षा के विकास को सम्भव बनाया। उन्होंने अपने प्रांतों को स्थानीय संस्थाओं को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों को स्थापना की और बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान को । इस प्रकार, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त होने पर प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के पथ पर एक बार फिर अवरोधमुक्त अभियान आरम्भ किया।

8.6 स्वतंत्र भारत में अनिवार्य शिक्षा (Compulsory Education In India) :

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था का देन है । इसके लिए सबसे पहले 19वों शताब्दी के मध्य में नारा लगाया गया। स्वीडन ने सबसे पहले 1842 में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की । इसके उपरान्त 1852 में अमेरिका में, 1860 में नार्वे में, 1870 में इंगलैण्ड में, 1905 में हंगरी, पुर्तगाल आदि देशों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए कदम उठायें गये । परतंत्र भारत में बड़ौदा नरेश तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रयास किये।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत ने भी बालकों एवं बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व को स्वीकार किया।

8.6.1. भारतीय संविधान और अनिवार्य शिक्षा (Indian Constitution and Compulsory Education)

अनेक शताब्दियों के पश्चात परवशता की परिधि को पार करके भारत ने 15 अगस्त, 1947 को स्वाधीनता के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया और 26. जनवरी, 1950 को इस युग के लिए उपयुक्त सविधान का प्रतिष्ठान किया। संविधान की धारा 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति-निर्देशक सिद्धांत धोषित किया। इस धारा में उल्लिखित है- 'राज्य इस संविधान को लागू किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

42 वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची के प्रविष्टि ।। से हटाकर समवर्ती सूची को प्रविष्टि 5 में सम्मिलित कर दिया गया। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि जनता पार्टी की सरकार ने 42वं संसाधन के अनेक प्रावधान 43 वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिए । परनु शिक्षा को समवतो सूची में लाने को प्रावधान को यथावत रखा। अत: अब शिक्षा के विषय में कंन्द्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इस प्रकार से राज्यों के शिक्षा सम्बन्धी अधिकार समाप्त तो नहीं किये गये हैं परन्तु केन्द्र इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाकर उनके अधिकारों में कमी कर सकता है।

8.6.2 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009)

86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान के भाग-3 में एक नया अनुच्छेद 21-क समाविष्ट किया गया है । जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बुनियादी अधिकार बना दिया गया है। तथापि, 86वें संविधान संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु एक उपयुक्त अनुवर्ती विधान बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 पारित किया गया है। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है । यह ऐतिहासिक विधान 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के केन्द्र और राज्य सरकारों के दायित्व को रेखांकित करता है ।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में आठवीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का अधिकार है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष को आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश

से इन्कार नहीं किया जायेगा और जब तक उसकी बुनियादी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जायेगा। यदि यह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक बुनियादी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, उसे नि:शुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी।

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक ढाँचा तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

राज्य और स्थानीय सरकार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और बुनियादी शिक्षा का पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी, पड़ोस में विद्यालय को सुविधा सुनिश्चित करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, विद्यालय भवने, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी बच्चों को उम्दा किस्म की शिक्षा के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी।

सरकारी विद्यालय तो नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे हो, निजी और विशेष श्रेणी बाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय न तो कोंई अनिवार्ग दान/चंदा ले सकेगा और न हो अभिभावक/बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा । प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा/दान लेने की स्थिति में उससे इस गुना अर्थ दंढ देना पढ़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25
हजार रुपये दंड देना होगा। अधिकृत प्राधिकार से मान्यता का प्रमाणपत्र हासिल किये बिना कोई भी विद्यालय खोला नहीं जा सकता। विद्यालयों को अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों और मानदंडों को पूरा करना होगा।

प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय
में पढ़ने के लिए भर्ती कराए।